उत्तर प्रदेश शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–6
संख्या– 816 /15–6–2025–4(1)/2025
लखनऊः दिनांक 15 जून, 2025

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह–क श्रेणी के जिला विद्यालय निरीक्षक/समकक्ष स्तर के पद पर नवप्रोन्नत अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा पदस्थापित/तैनात किया जाता है:–

क्र0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री सुनील दत्त (नवप्रोन्नत)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा।	जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव।
2.	श्री संतोष कुमार राय (नवप्रोन्नत)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अयोध्या।	जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
3.	श्री संजय सिंह (नवप्रोन्नत)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।	जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती।
4.	श्री गौतम प्रसाद (नवप्रोन्नत)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ।
5.	श्री प्रवीण कुमार तिवारी (नवप्रोन्नत)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज।	जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकरनगर।
6.	श्री भोलेन्द्र प्रताप सिंह (नवप्रोन्नत)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।	जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
7.	श्री इन्द्रजीत (नवप्रोन्नत)	प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा।	जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा।
8.	श्री अतुल सिंह (नवप्रोन्नत)	वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, सीतापुर।	जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा
9.	श्री प्रेमचन्द्र यादव (नवप्रोन्नत)	विधि अधिकारी, एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ।	जिला विद्यालय निरीक्षक, महोबा।
10.	श्री अरविन्द कुमार पाठक (नवप्रोन्नत)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।	जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर।

2– संबंधित अधिकारी तत्काल प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण कर लेंगे जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

3– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/बेसिक)/एस0सी0ई0आर0टी0/संबंधित नियंत्रक अधिकारी उपरोक्त अधिकारी को तत्काल अपने नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

4– उपर्युक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर–11(VIII) एवं प्रस्तर–14 में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

संदीप परमार,
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग/मा0 मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक/बेसिक, शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
2– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/एस0सी0ई0आर0टी0/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

..................2

4— अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/बेसिक, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।

5— संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

6— संबंधित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक।

7— उप शिक्षा निदेशक (सेवायें—I/II) शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।

8— संबंधित अधिकारी (नाम से) द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0 लखनऊ।

9— बेसिक शिक्षा अनुभाग—1/माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।

10— गार्ड बुक/संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु/कम्प्यूटर।

आज्ञा से,

(निरंजन प्रसाद)
अनु सचिव।